श्रीअन्न के लिए एफपीओ, किसान और उद्यमी को मिलेगा अनुदान

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश में मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के तहत सीडमनी, प्रसंस्करण, पैकिंग सह विपणन केंद्र, मोबाइल आउटलेट व स्टोर की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 11 दिसंबर से 16 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। चयनित स्वयं सहायता समूह/ कृषक उत्पादक संगठन, उद्यमी, कृषकों को मिलेट्स मोबाइल आउटलेट/ मिलेट्स स्टोर के लिए अनुदान दिया जाएगा।

योजना के तहत मिलेट्स बीज उत्पादन के लिए कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) आवेदन कर सकेंगे। इस पर प्रति एफपीओ चार लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। योजना के तहत वह एफपीओ ही लाभ पाएंगे, जिन्होंने खरीफ-2023 में मिलेट्स के बीज का उत्पादन कराया हो और 100 क्विंटल मोटे अनाज की फसलों के बीज सही प्रक्रिया से निकालकर भंडारित किया हो। मिलेट्स प्रसंस्करण व पैकिंग सह विपणन केंद्र के लिए भी उद्यमी व एफपीओ आवेदन कर सकते हैं।

11 से 16 दिसंबर तक इसके लिए होंगे ऑनलाइन आवेदन

एफपीओ कम से कम तीन साल पुराने हों और इनका 100 लाख का टर्नओवर हो, वही पात्र माने जाएंगे। अनुदान के लिए अर्हता लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 47.50 लाख रुपये होनी चाहिए। मिलेट्स मोबाइल आउटलेट के लिए अधिकतम 10 लाख व मिलेट्स स्टोर के लिए अधिकतम 20 लाख का अनुदान मिलेगा।